संख्या-70/2023/1309/12-05-2023/सा0-01/2019

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः:दिनांक: 20 नवम्बर, 2023**

विषयः-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 15वीं किस्त हस्तांतरण उपरान्त प्रदेश में अवशेष पात्र कृषकों को आधार सीडिंग एवं ई-के0वाई0सी0 की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-65/2023/1146/12-5-2023/सा0-01/2019, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, शासनादेश संख्या-57/2023/1036/12-5-2023/सा0-01/2019, दिनांक 25 अगस्त, 2023 एवं शासनादेश सं0-67/2023/1199/12-5-2023-सा0-01/2019, दिनाक 25 अक्टूबर, 2023 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-के0वाई0सी0 कराये जाने हेतु 15 अक्टूबर, 2023 तक भूलेख अंकन, आधार सीडिंग एवं ई-के0वाई0सी0 कराने के लिए सघन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये थे।

तद्क्रम में जनपदों में प्रभावी कार्यवाही करते हुये उक्त कार्य को सम्पन्न कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में भूलेख अंकित, आधार सीडिंग एवं ई-के0वाई0सी0 पूर्ण कृषकों की संख्या 176.80 लाख हो गयी है, जिन्हें दिनांक 15.11.2023 को मा0 प्रधानमन्त्री जी द्वारा 15वीं किस्त की धनराशि का हस्तांतरण किया गया।

सघन प्रयास के उपरान्त भी कतिपय किसानों द्वारा समय से ई-के0वाई0सी0 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करायी गई है। ऐसे किसानों द्वारा ई-के0वाई0सी0 कराने एवं भुगतान प्राप्त होने की कार्यवाही हेतु विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क किया जाना तथा आवेदन दिया जाना संभावित है।

शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 15वीं किस्त की धनराशि हस्तांतरण के उपरान्त पूर्व की भांति जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय, समस्त तहसील कार्यालयों तथा विकास खण्ड स्तर पर समस्त राजकीय बीज भण्डारों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाय, जिसमें कृषि विभाग के कार्मिकों के साथ-साथ आधार सीडिंग खाता खोलने हेतु इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक के प्रतिनिधि एवं ई0के0वाई0सी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किये जाने हेतु जनसेवा केन्द्र के प्रतिनिधि भी समस्त आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध रहे ताकि किसानों की समस्या का त्वरित निदान किया जा सके। फेसियल ई0के0वाई0सी0 भी कृषि विभाग के कार्मिकों के माध्यम से कराया जाय। इस हेतु जनपद स्तर से प्रतिदिन कितने कृषकों द्वारा सम्पर्क किया गया, कितने कृषकों की ई0के0वाई0सी0, आधार सीडिंग की समस्या का निराकरण किया गया की सूचना भी अनुश्रवित की जायेगी।

पूरे प्रदेश में 15 नवम्बर, 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आरम्भ हुई है, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आबद्ध प्रचार वाहन विभिन्न ग्राम पंचायतों में एक निश्चित कार्य योजना के अधीन पहुचेंगे तथा ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूक करने तथा संतृप्तीकरण करने हेतु शिविर भी लगाने हैं। यह अपेक्षा है कि इन शिविरों में भी संबंधित कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पोस्ट आफिस व कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) के कर्मी पी0एम0-किसान योजना के संतृप्तीकरण का कार्य तथा ई-के0वाई0सी0 की कार्यवाही भी संपन्न करेंगे।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त हेतु अपने स्तर से समस्त संबन्धित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदत्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. स्टेट हेड, आई0पी0पी0बी0,पोस्ट आफिस, उत्तर प्रदेश।
3. स्टेट हेड, जनसुविधा केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।